समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पे0 श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम खुरहान, थाना- आलमनगर, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से दो नाली बन्दुक एवं एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-289/ए.डी.एम.आर./अक्टू.97 पर धारित शस्त्र सं0- दोनाली बन्दुक सं0-12129-94एवं एन.पी.बोर पिस्टल सं0-आर.पी.-140985 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि जिला से बाहर रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 243/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र दो नाली बन्दुक एवं एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-289/ए.डी.एम.आर./अक्टू.97 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 51 वर्ष अंकित किया है। इन्होंने निरीक्षण के समय जिला से बाहर रहने की बात बताई है, लेकिन उसका कोई वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और न ही व्यक्तिगत रूप से अपना कोई बचाव पक्ष रखा है। इनके अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्होंने उपर वर्णित भौतिक सत्यापन की तिथियों में शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। जिला से बाहर रहने पर अनुज्ञापन प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर अपने शस्त्र को सरकारी मालखाना अथवा गन हाउस में जमा कर देना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है एवं अनुज्ञप्तिधारी जिला से बाहर रहने का बहाना बनाकर बचना चाहते हैं। उनका यह कथन पूर्णतया मनगढ़ंत एवं सत्य से परे एवं भ्रामक है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन के साथ-साथ मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक एवं एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-289/ए.डी.एम.आर./अक्टू.97 पर धारित शस्त्र सं0- दोनाली बन्दुक सं0-12129-94 एवं एन.पी.बोर पिस्टल सं0-आर.पी.-140985 को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पे0 श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम खुरहान, थाना- आलमनगर, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त मूल जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र आलमनगर थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 121 /शस्त्र, दिनांक 26-03-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, आलमनगर/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पे0 श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम खुरहान, थाना- आलमनगर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।